अजीत प्रकाश, उप सम्बद चलर प्रवेश शासन ।

सेवा में,

सामन, क्षेत्रीय माज्यीयक विका परिवर विशा केन्द्र-2,समुखक्केन्द्र, प्रीति विकार महिक्की।

शिक्स (७) कानुष्मान

संख्याकः विनाकः १० आप्रिस, 2006

and James

आभिटी इण्टरनेशानस स्नूल बसुन्धरा सेवटर-७ गाजिपाचार को सीठवीठएसठई० नद्भिक्की से संबद्धता हेतु अनापीत प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोचन उपर्युक्त विक्य की और आपका ब्यान आकृष्ट करते हुवे मुझे वह कहने का निवेश हुआ है कि उक्त संबर्धित विकासय को सीठबीठएसठईठ नईविक्सी से संबद्धता हेतु अमापरित प्रयाम पत्र विषे जाने में इस शब्ब सरकार को निम्नासिक्ति प्रतिबंधों के अधीन आपित नहीं 章:--

(1) विकासन की पंजीवृत सीसामटी का समय-समय पर नवीनीकरण करान्य जायेगा।

(2) विकासन की प्रयंथ समिति में विका निवेशक द्वारा नामित एक सवस्य होया ।

(3) विकासन में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के नेवादी बच्चों के लिए तुर्रिक्त रहेगें और उनसे उठाउनाध्यनिक शिक्षा परिवद बेतिक शिक्षा परिषद कारा संचालित विकालयों में विकित्न कमाओं के लिए निर्धारित शुरुक भी काविक शुरुक नहीं लिया कावेगा ।

(4) संस्था डारा राज्य सरकार से किसी अनुवाल की मीन नहीं की आयेगी और धरि पूर्व में विद्यालय माज्यमिक शिक्षा परिषय से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धात सेंद्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नहींचल्ली/कींसिस आफ वि इण्डियन स्कूल सटीपिकेट इनकायिनेशन नहींवल्ली से प्राप्त डोती है, तो उस परीका परिवर्ध से संबद्धता प्राप्त होने की लिख से उठप्रठमाञ्चामक विका परिषय क्यारा प्रकरत मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदाम स्थतः समाप्त हो जायेगे ।

(5) संस्था के वीकिक वर्ष जिसलेतार कर्मकारियों का राजकीय संवायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मकारियों की अनुसन्य वेसनमानी तथा जन्य नारते से कम

वेतानमान तत्वा आन्य भारते नहीं दिवे आयेगे ।

(6) कर्मकारियों की सेवा शर्ते कमाबी जायेगी और छन्डें सकावता प्राप्त छाशासकीय क्ष्मार माध्यमिक विद्यालयों के कर्मकारियों को अनुमन्त्र सेवा निवृतित का साध स्यक्षक्य कराये जावेगे ।

(7) राज्य सरकार ऋरा समय-समय पर जो भी आदेश निर्णत किये जायेने संस्था

जनका पालन करेगी ।

(8) विश्वासम्य का रिकार्ड निकारित प्रयत्र पीजकाओं में रखा जायेगा ।

(%) अवत शस्त्रें में राज्य सरकार के पूर्वानुवीयन के किना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्क्ण नहीं किया जानेगा ।

क्ता प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनियार्थ होगा और यदि किसी समन वह . पाना जाता है कि संस्था क्षारा उक्त प्रतिनंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अवदा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या किखिखता बरती जाती है तो राज्य सरकार ग्रास प्रवत्त जनापरित प्रमाण एवं बापस से शिया जायेगा ।

धवदीय.

सप सचिव ।

050- 555(1)/15-7-2006 西南明年

प्रतिकिपि निम्नस्थित को सूचनार्थ एवं कावरयक कार्यवाठी हेतु प्रेषित :-

1- शिला निवेशक, उत्तर प्रवेश, लखनक ।

- 2- मण्डलीय संयुक्त शिका निवेशक, मेरन।
- अन्या विकासस्य निरीसक, गाजियाक्य ।

क्रिकेन्स्,आंच्या भारतीय विद्यालय उठप्र०,लखनक ।

V5- प्रकंपक, अमिटी इण्डरनेशनत स्कूल बसुन्यरा सेक्टर-७ गाणिकाकात ।

Principal & Manager Amity International School Sector-6, Vasundhara, Ghaziabad आक्स ले,

